बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–अ०सां०नि०/स्था०17–11/2021 /345 पटना, दिनांक: 04/11/22

कार्यालय आदेश

श्री श्रीकान्त प्रसाद, तत्कालीन अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, औरंगाबाद संप्रति सेवानिवृत के विरूद्ध दिनांक–10.09.2015 से दिनांक–11.03.2021 तक बिना नियंत्री पदाधिकारी के अनुमति लिए जिला सांख्यिकी कार्यालय, औरंगाबाद से अनुपस्थित रहने एवं प्रमाणिक चिकित्सीय प्रमाण पत्र के बिना श्री श्रीकान्त प्रसाद द्वारा बीमार रहने का आवेदन डाक द्वारा भेजने के आरोप में जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक–579/जि०सां० दिनांक–14.08.2021 द्वारा प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर निदेशालय के का०आ०सं०–221 सहपठित ज्ञापांक–1196 दिनांक–23.09.2021 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता(विभागीय जाँच), औरंगाबाद को संचालन पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, औरंगाबाद को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। श्री श्रीकान्त प्रसाद के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को निदेशालय के का०आ०सं०–262 सहपठित ज्ञापांक–1469 दिनांक–17.11.2021 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत संचालित विभागीय कार्यवाही में परिवर्तित किया गया।

2. श्री श्रीकान्त प्रसाद के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता औरंगाबाद –सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–2373/रा०, दिनांक–17.06.2022 द्वारा समर्पित किया गया। इस विभागीय कार्यवाही का संचालन प्रतिवेदन अपर समाहर्त्ता, (विभागीय जाँच), औरंगाबाद के बदले अपर समाहर्त्ता–सह–संचालन पदाधिकारी, औरंगाबाद के बदले अपर समाहर्त्ता–सह–संचालन पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा भेजे जाने के कारण जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद से अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), औरंगाबाद के स्थान पर अपर समाहर्त्ता, औरंगाबाद को संचालन पदाधिकारी नामित करने संबंधी आदेश /पत्र की मांग निदेशालय के पत्रांक–1364 दिनांक–26.07.2022 द्वारा की गयी । उक्त के आलोक में जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक–3374 /रा० दिनांक–10.08.2022 द्वारा सूचित किया गया है कि औरंगाबाद जिला में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), औरंगाबाद का पद रिक्त रहने के कारण अपर समाहर्त्ता, औरंगाबाद द्वारा ही यह कार्य किया जाता है। फलस्वरूप श्री श्रीकान्त प्रसाद के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का संचालन अपर समाहर्त्ता, औरंगाबाद द्वारा किया गया।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित संचालन प्रतिवेदन में निम्न मन्तव्य दिया गया है :–

(i) " आरोपी पदाधिकारी श्री श्रीकान्त प्रसाद द्वारा विधिवत् रूप से आकस्मिक अवकश स्वीकृत नहीं कराई गयी थी एवं जानबूझकर काफी लंबे अवधि तक पैर टूटने, डायबिटिज, बी०पी० आदि के आधार पर कार्यालय से अनुपस्थित रहे हैं, जो उनके कार्य के प्रति लापरवाही का द्योतक है। उल्लेखित बिमारियों की स्थिति में कोई भी सरकारी सेवक इतने लम्बे अवधि तक कार्यालय से अनुपस्थित नहीं रह सकता है।

" जन्म हो या मरण, जरूरी हैं पंजीकरण"

इस प्रकार श्री श्रीकान्त प्रसाद, अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, औरंगाबाद संप्रति सेवानिवृत के विरूद्ध आरोप संख्या–01 आंशिक प्रमाणित पाई जाती है।

(ii) "आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने बीमारी का हवाला देते हुए दिनांक–10.09.2015 से दिनांक–11.03.2021 तक अनुपस्थित रहने के संबंध में अपना स्पष्टीकरण समर्पित किये हैं। साथ ही साथ प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा भी मंतव्य दी गई है । इस संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक–1028, दिनांक–06.05.2020 द्वारा श्री श्रीकान्त प्रसाद का मेडिकल बोर्ड द्वारा किये गये जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा करने के उपरान्त आरोप संख्या–02 प्रमाणित पाया जाता है । उल्लेखनीय है कि मेडिकल बोर्ड द्वारा स्पष्ट किया गया है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा उल्लेखित बीमारियों हेतु चिकित्सीय परामर्श के आधार पर लंबी अवधि तक कार्यालय से अनुपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं थी। मेडिकल फीट होने के बावजूद भी लंबी अवधि तक कार्यालय से अनुपस्थित रहना इनके स्वेच्छाचारिता एवं कार्य के प्रति लापरवाही को दर्शाता है। आरोप संख्या–02 प्रमाणित पाया जाता है।"

3. संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप प्रमाणित होते हैं, के समर्पित संचालन प्रतिवेदन पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18 (3) में किये गये प्रावधान के तहत निदेशालय के पत्रांक–1363 दिनांक–26.07.2022 द्वारा श्री श्रीकान्त प्रसाद से अभ्यावेदन/निवेदन पत्र की मांग की गयी । उक्त के आलोक में समर्पित अभ्यावेदन में श्री श्रीकान्त प्रसाद ने निम्न तथ्यों का उल्लेख किया है :–

" कार्यालय में शौचालय में शौच करने के क्रम में फिसलकर दिनांक–09.09.2015 को गिरने के उपरान्त पूर्व से टूटा हुआ पैर जिसमें रॉड फिक्स किया हुआ था वह विचलित हो जाने के कारण वे चलने–फिरने से लाचार थे। इलाज कराने के लिए वे सदर अस्पताल, औरंगाबाद, एकंगरसराय, नालंदा, पटना, कलकत्ता एवं दिल्ली तक गये। लंबे समय तक Bed Rest में रहने के करण अनेकों तरह की बीमारियों से जूझना पड़ा।

आरोप संख्या–01– (i) उनके द्वारा अवकाश स्वीकृति एवं अवकाश विस्तार के लिए जो आवेदन पत्र प्रमाणित चिकित्सीय प्रमाण–पत्र के साथ दिया गया है उसी पत्र के आलोक में उन्हें सूचित किया गया है कि अवकाश स्वीकृति एवं विस्तार संबंधी स्वीकृति के जिला सांख्यिकी पदाधिकारी सक्षम प्राधिकार नहीं हैं।

(ii) प्रमाणिक चिकित्सीय प्रमाण पत्र के साथ आवेदन पत्र उनके द्वारा दिनांक–07.03.2017, दिनांक–02.05.2017 एवं दिनांक–23.05.2017 को दिया गया है।

(iii) जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, औरंगाबाद के द्वारा उनके द्वारा दिये गये आवेदन पत्र की संख्या मात्र 03 ही दर्शाया गया है जबकि उनके द्वारा समय–समय पर वे किस हालत में हैं, की जानकारी हमेशा देते रहे हैं।

आरोप संख्या–02 :– वे दिनांक–09.09.2015 के अपराह्न सदर अस्पताल, औरंगाबाद में भर्ती हुए। उस समय उनका फिजिशियन चिकित्सक के द्वारा इलाज हुआ एवं वे हड्डीवाले चिकित्सक के यहाँ रेफर कर दिये। हड्डीवाले चिकित्सक के द्वारा इलाज दिनांक–10.09.2015 को हुआ । इलाज के बाद बीस दिन Bed Rest में

रहने को कहे। जब दर्द में कमी नहीं आये तो दिनांक–28.09.2015 को डा० मृत्युंजय कुमार के हड्डी अस्पताल, एकंगरसराय, नालंदा में भर्ती हुए। पुनः दिसंबर के प्रथम सप्ताह में कलकत्ता चले गये। ऑपरेशन के बाद घाव ठीक नहीं हो रहा था, इसलिए उन्हें दिल्ली जाना पड़ा।

मेडिकल बोर्ड में सिर्फ पैर के बारे में जाँच किये और सभी तरह के रोग को दरकिनार कर दिये।"

4. श्री श्रीकान्त प्रसाद द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रायः उन्ही तथ्यों का उल्लेख किया गया है जो उनके द्वारा संचालन पदाधिकारी को समर्पित अपने स्पष्टीकरण में किया गया है। इनके द्वारा किसी नये तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है। श्री श्रीकान्त प्रसाद के विरूद्ध असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, औरंगाबाद की अध्यक्षता में गठित चिकित्सा परिषद् द्वारा दिनांक–31.01.2020 को जाँच कर समर्पित जाँच प्रतिवेदन में conclusion दिया गया है कि "On the basis of documents submitted by Shri Shrikant Prasad and examined by the Medical Board, the board comes to the conclusion that the submission of the above noted document for e.g. 11.09.2015 to 27.09.2015, 29.09.2015 to 27.12.2015 does not justifies his long duration treatment especially the physiotherapy part and that was also not advised by any doctor.

And therefore board does not justify his (Shri Shrikant Prasad) long duration treatment." इसके बावजूद श्री प्रसाद दिनांक–10.09.2015 से दिनांक–11.03.2021 तक बिना नियंत्री पदाधिकारी के अनुमति लिये कार्यालय से लगातार अनुपस्थित रहे हैं। अतएव उनका अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

5. उक्त परिपेक्ष्य में श्री श्रीकान्त प्रसाद, तत्कालीन अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, औरंगाबाद संप्रति सेवानिवृत के विरूद्ध संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप संख्या–01 आंकिश प्रमाणित पाये जाने एवं आरोप संख्या–02 प्रमाणित पाये जाने के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (ख) के तहत उनके प्राप्त होने वाले पेंशन का 10% (दस प्रतिशत) की राशि लगातार पाँच वर्षो तक के लिए कटौती करने का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

6. अतः श्री श्रीकान्त प्रसाद, तत्कालीन अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, औरंगाबाद संप्रति सेवानिवृत पर बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (ख) के तहत उनके प्राप्त होने वाले पेंशन का 10% (दस प्रतिशत) की राशि लगातार पाँच वर्षो तक के लिए कटौती करने का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

ह०/–

(संजय कुमार पंसारी)

निदेशक

ज्ञापांकः– अ०सां०नि०/स्था०17–11/2021 /1884 पटना, दिनांक :– 04/11/22

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

3. जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4. उप निदेशक(सां०) मगध प्रमंडल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5. सहायक निदेशक (स्थापना), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय को सूचनार्थ प्रेषित।

6. कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवयश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, औरंगाबाद को उनके पत्रांक–579/जि०सां० दिनांक–14.08.2021 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेजते हुए निदेशित किया जाता है कि इस आदेश की प्रति श्री श्रीकान्त प्रसाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

8. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

9. श्री श्रीकान्त प्रसाद, तत्कालीन अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, औरंगाबाद संप्रति सेवानिवृत, पता–ग्राम–धरमपुर, पोस्ट +थाना–हुलासगंज, भाया–हुलासंगज, जिला–जहानाबाद , पिन– 804407 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

0420 स्था० 1 (का० आ०) श्री श्रीकान्त प्रसाद.